NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-09-2024

विषय सूची

भारत और उज़्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए

कर्नाटक ने CBI को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ली

अरुणाचल शिखर का नामकरण छठे दलाई लामा के नाम पर

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

समुद्र के स्तर में वृद्धि

भारत में लंबी दूरी के रॉकेट

संक्षिप्त समाचार

भगत सिंह

जीवित्पुत्रिका महोत्सव

भारत ग्लोबई संचालन समिति में निर्वाचित

भारत 6G अलायंस

भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए

समाचार में

- भारत और उज़बेकिस्तान गणराज्य ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- BIT पर हस्ताक्षर दोनों देशों की आर्थिक सहयोग बढ़ाने और अधिक मजबूत तथा लचीला निवेश वातावरण बनाने की दिशा में साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- BIT से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों में व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
- यह मध्यस्थता के माध्यम से विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करते हुए, उपचार और गैर-भेदभाव के न्यूनतम मानक का आश्वासन देकर निवेशकों के सुविधा के स्तर को बढ़ाएगा और उनका विश्वास बढ़ाएगा।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

- BIT दो देशों के बीच एक पारस्परिक समझौता है जो एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच अनुकूल निवेश वातावरण बनाना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **भारत का BIT ढांचा:** भारत ने 2015 में एक नया मॉडल BIT अपनाया, जिसने 1993 के पुराने संस्करण का स्थान ग्रहण किया।
  - नया विषय भविष्य के BIT और मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और आर्थिक भागीदारी समझौतों के निवेश अध्यायों पर बातचीत के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है।

भारत के मॉडल BIT (2015) की मुख्य विशेषताएं

- **राष्ट्रीय व्यवहार:** विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान ही समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए, उन विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर, जहाँ अपवादों का उल्लेख किया गया है।
- **अधिकार-हरण से सुरक्षा:** सार्वजनिक उद्देश्यों को छोड़कर विदेशी निवेशों को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से और पर्याप्त मुआवजे के साथ जब्त करने (अधिग्रहण करने) की मेजबान देश की क्षमता को सीमित करता है।
- **उचित और न्यायसंगत व्यवहार:** विदेशी निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है, लेकिन पुरानी संधियों में पाए जाने वाले व्यापक अधिकारों की स्वचालित रूप से गारंटी नहीं देता है।
- **पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण:** विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों को मेजबान देश के कानूनों के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण दिया जाएगा।
- **विवाद निपटान:** स्थानीय उपायों की समाप्ति: निवेशकों को पहले मेजबान देश के कानूनी ढांचे के अंदर विवादों को हल करने का प्रयास करना चाहिए, और सभी स्थानीय उपायों को समाप्त करने के बाद ही वे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू कर सकते हैं।

- **गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार:** भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से घरेलू निवेशकों के संबंध में, और सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) व्यवहार की गारंटी देता है।

भारत-उज्बेकिस्तान संबंध

ऐतिहासिक संबंध:

- भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं, जो सिल्क रोड के समय से चले आ रहे हैं, जहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक आदान-प्रदानों के महत्त्व में वृद्धि हो रही है
- । दोनों देशों के बीच साझा विरासत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानताओं में स्पष्ट है, जिसमें फ़ारसी तथा मुगल युगों के प्रभाव भी शामिल हैं।
- 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद उज्बेकिस्तान की आज़ादी के बाद भारत के साथ उज्बेकिस्तान के सम्बन्ध मज़बूत हुए।

राजनीतिक संबंध:

- **रणनीतिक साझेदारी:** 2018 में उज्बेक राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की भारत यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
- **नियमित उच्च-स्तरीय यात्राएँ:** दोनों देश राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए नियमित रूप से उच्च-स्तरीय यात्राओं में संलग्न रहते हैं। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने कई मौकों पर मुलाकात की है, जो द्विपक्षीय साझेदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
- **बहुपक्षीय जुड़ाव:** भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत-मध्य एशिया वार्ता सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

- **व्यापार:** भारत-उज्बेकिस्तान व्यापार में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है, हालांकि इसकी क्षमता का अभी भी काफी हद तक दोहन नहीं हुआ है। भारत से मुख्य निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं, जबकि उज्बेकिस्तान फल, उर्वरक और कच्चे माल जैसी वस्तुओं का निर्यात करता है।
- **द्विपक्षीय व्यापार समझौता:** दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) है, जो निवेश की सुरक्षा और संवर्धन करती है। वे व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) को अंतिम रूप देने पर भी कार्य कर रहे हैं।
- **फार्मास्यूटिकल्स:** भारतीय दवा कंपनियों की उज्बेकिस्तान में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, और इस साझेदारी को और बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत उज्बेकिस्तान की लगभग 25% दवा आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी:** उज्बेकिस्तान सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल शासन में भारत की विशेषज्ञता की मांग तेजी से कर रहा है।

रक्षा सहयोग:

- **सैन्य अभ्यास:** भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से डस्टलिक जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाना है।

- **रक्षा प्रशिक्षण:** भारत अपने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उज्बेक सशस्त्र बलों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे क्षमता निर्माण प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।
- **सुरक्षा सहयोग:** दोनों देश आतंकवाद विरोधी, कट्टरपंथ विरोधी और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग करते हैं, विशेषकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के संदर्भ में।

सांस्कृतिक संबंध:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कला, संगीत, नृत्य और योग पर केंद्रित जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान हैं। उज्बेकिस्तान में हिंदी भी व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है और बॉलीवुड बेहद लोकप्रिय है।
- **लोगों के बीच संबंध:** आयुर्वेद और योग जैसी भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में उज्बेक जनसँख्या के बीच रुचि बढ़ रही है। उज्बेकिस्तान नियमित रूप से भारत में सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेता है और उज्बेकिस्तान भी भारत में सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेता है।

कनेक्टिविटी और परिवहन:

- **चाबहार बंदरगाह:** भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने पर कार्य कर रहे हैं। इससे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक जुड़ाव के अवसर खुलेंगे।
- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC):** उज्बेकिस्तान ने INSTC में रुचि दिखाई है, यह एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत और मध्य एशिया के बीच वस्तु परिवहन के समय और लागत को कम करना है।

ऊर्जा और नवीकरणीय संसाधन:

- **ऊर्जा सहयोग:** उज्बेकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और भारत ने प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा साझेदारी विकसित करने में रुचि व्यक्त की है।
- **परमाणु सहयोग:** दोनों देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें परमाणु ऊर्जा में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत की विकास सहायता:

- **ऋण सहायता:** भारत ने सड़क निर्माण, जल उपचार संयंत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में सहायता के लिए उज्बेकिस्तान को विभिन्न ऋण सहायता प्रदान की है।
- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से, भारत स्वास्थ्य, कृषि तथा आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उज्बेक व्यावसायिकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक चिंताएँ:** अफ़गानिस्तान की अस्थिरता भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, विशेष तौर पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद। दोनों देश साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं।
- **व्यापार बाधाएँ:** बढ़ते संबंधों के बावजूद, कनेक्टिविटी मुद्दों, विनियामक बाधाओं और प्रत्यक्ष परिवहन लिंक की कमी के कारण द्विपक्षीय व्यापार क्षमता से कम बना हुआ है।

हालिया घटनाक्रम

- **भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन:** भारत ने जनवरी 2022 में भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जहाँ दोनों देशों ने विशेष रूप से व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- **अफ़गानिस्तान मुद्दा:** भारत तथा उज़्बेकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद पर साझा चिंताएँ व्यक्त की हैं और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया है कि अफ़गानिस्तान क्षेत्र का उपयोग आतंकवाद के लिए न किया जाए।

Source: TH

कर्नाटक ने CBI को दी गई 'सामान्य सहमति' वापस ली

सन्दर्भ

- कर्नाटक सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग और संचार की कमी का उदाहारण देते हुए राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।

परिचय

- इसके साथ ही कर्नाटक हाल के वर्षों में CBI के लिए सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्यों (जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मेघालय) की सूची में शामिल हो गया है।
  - परंपरागत रूप से, लगभग सभी राज्यों ने CBI को सामान्य सहमति दी है।
- हालांकि, 2015 के बाद से, विभिन्न राज्यों ने अलग तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया है। 2015 में, मिजोरम सामान्य सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य बना। हालांकि राज्य ने इसे 2023 में बहाल कर दिया।
- सहमति वापस लेने के समय, सभी राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए CBI का प्रयोग कर रही है।

CBI के लिए सामान्य सहमति क्या है?

- सामान्य सहमति राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई स्वीकृति है, जो उसे राज्य के अंदर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, हर बार एजेंसी को किसी मामले को लेने या जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने पर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

- सामान्य सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं, और CBI , एक केंद्रीय एजेंसी होने के नाते, राज्य के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **सहमति के दो प्रकार:**
  - **सामान्य सहमति:** यह कानून CBI को प्रत्येक मामले के लिए नए अनुमोदन की आवश्यकता के बिना राज्य के अंदर जांच करने की अनुमति देता है।
  - **मामला-विशिष्ट सहमति:** जब सामान्य सहमति नहीं दी जाती है या वापस ले ली जाती है, तो CBI को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी चाहिए।
- **सामान्य सहमति के निहितार्थ:**
  - **निर्बाध संचालन:** सामान्य सहमति के साथ, CBI मामले दर्ज कर सकती है और केस-दर-केस अनुमोदन की आवश्यकता के बिना जांच कर सकती है।
  - **कोई नई अनुमति नहीं:** एजेंसी को हर बार राज्य में प्रवेश करने या नए मामले लेने पर सहमति के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- **सामान्य सहमति वापस लेना:**
  - जब कोई राज्य सामान्य सहमति वापस ले लेता है, तो CBI राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य के मामलों, केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े किसी भी नए मामले को दर्ज नहीं कर सकती है।
  - **जारी जांच:** CBI उन मामलों की जांच जारी रख सकती है जो सामान्य सहमति वापस लेने से पहले दर्ज किए गए थे।
  - **नए मामले:** किसी भी नए मामले के लिए, CBI को राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति लेनी होगी।
- **राज्य-विशिष्ट सहमति:**
  - यदि सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो CBI को प्रत्येक नई जांच के लिए राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति लेनी होगी।
  - विशिष्ट सहमति के बिना, CBI अधिकारियों के पास राज्य के अंदर पुलिस कर्मियों की शक्तियाँ नहीं होती हैं।
- **असहमति का प्रभाव:**
  - यदि कोई राज्य सामान्य या विशिष्ट सहमति नहीं देता है, तो उस राज्य में CBI की जांच शक्तियाँ गंभीर रूप से सीमित हो जाती हैं, और एजेंसी उस अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है।

सामान्य सहमति का महत्व

- सामान्य सहमति केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकारों के बीच सहज सहयोग की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि CBI भ्रष्टाचार या केंद्र सरकार के अधिकारियों या अंतर-राज्यीय मामलों से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर सकती है।

NEXT IAS हिन्दी

- सहमति वापस लेने से जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि CBI को राज्य सरकारों के सहयोग के बिना केंद्रीय एजेंसियों, केंद्रीय योजनाओं या अंतरराज्यीय संचालन से जुड़े मामलों की जाँच करना चुनौतीपूर्ण लग सकता है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI)

- भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्यरत CBI भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है।
- **इतिहास:** इसकी स्थापना 1963 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने CBI की स्थापना की सिफारिश की थी।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है।

Source: IE

अरुणाचल शिखर का नामकरण छठे दलाई लामा के नाम पर

सन्दर्भ

- हाल ही में, साहसी भारतीय पर्वतारोहियों की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अनाम और बिना चढ़ी चोटी पर चढ़ाई की, इस शानदार शिखर का नाम 6वें दलाई लामा के नाम पर 'त्सांगयांग ग्यात्सो शिखर' रखने का निर्णय किया।
  - हालांकि, चीन ने इस क्षेत्र पर अपना पुराना दावा व्यक्त किया, जिसे वह जांगनान के रूप में संदर्भित करता है, और भारत द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को 'अवैध और निरर्थक' मानता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत-चीन सीमा मुद्दा

- भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो विभिन्न राज्यों: जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में जानी जाने वाली यह सीमा दोनों देशों के बीच तनाव और कभी-कभी संघर्ष का स्रोत रही है।
- **1962 चीन-भारत युद्ध:** सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष 1962 में हुआ जब चीन ने हिमालयी सीमा पार करके भारत पर आक्रमण किया। भारत को सैन्य हार का सामना करना पड़ा और युद्ध ने द्विपक्षीय संबंधों पर निशान छोड़े।
- **युद्ध के बाद की कूटनीति:** युद्ध के बाद, सीमा मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से कूटनीतिक प्रयास शुरू हुए। हालाँकि, सीमा संरेखण की अलग-अलग धारणाओं के कारण प्रगति धीमी थी।
- **समझौते और विवाद:** पिछले कुछ वर्षों में, भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें शांति और स्थिरता बनाए रखने का समझौता (1993) और राजनीतिक मापदंडों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौता (2005) शामिल हैं। इन समझौतों के बावजूद, विवाद बने रहे।

वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC)

- LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है।
- भारत LAC को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किलोमीटर के आसपास मानते हैं।
- इसे तीन सेक्टरों में बांटा गया है:
  - पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है (यहां LAC को मैकमोहन रेखा कहा जाता है जो 1,140 किलोमीटर लंबी है)।
  - उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य सेक्टर, और
  - लद्दाख में पश्चिमी सेक्टर।

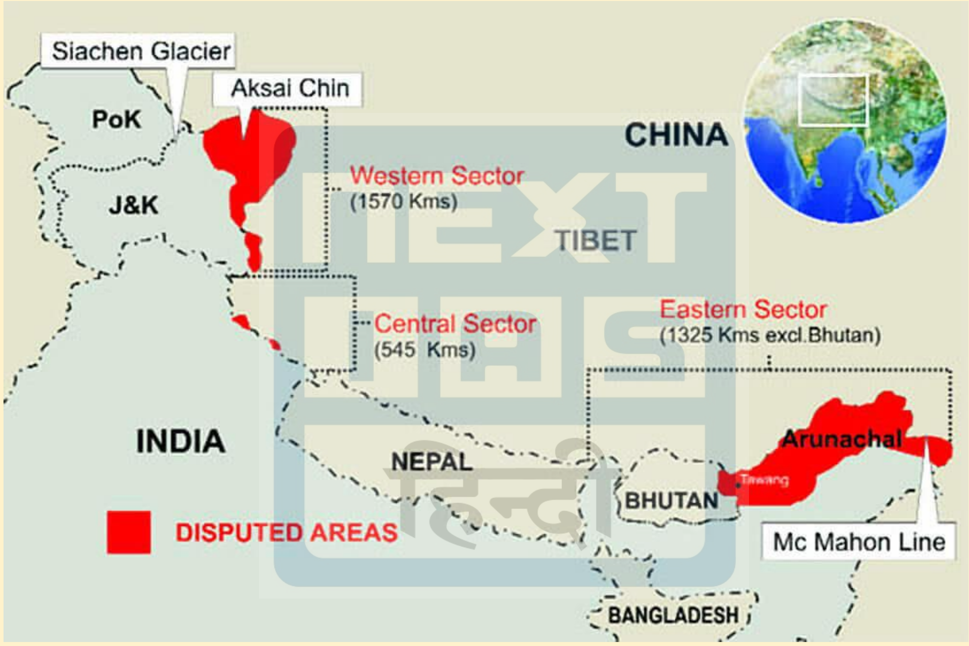

भारत-चीन सीमा पर प्रमुख टकराव बिंदु

- **अरुणाचल प्रदेश:** यह पूर्वोत्तर भारतीय राज्य चीन द्वारा अपने भूभाग के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है और यह दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है।
- **डेपसांग मैदान:** यह क्षेत्र लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ अतीत में चीनी सैनिकों द्वारा घुसपैठ देखी गई है।
- **डेमचोक:** यह क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित है और यहाँ भारत तथा चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद देखा गया है।
- **पैंगोंग झील:** यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक प्रमुख टकराव का बिंदु रहा है, जहाँ चीनी सैनिक इस क्षेत्र में LAC पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
- **गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स:** ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में स्थित हैं और हाल के वर्षों में यहाँ भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध देखा गया है।

नव गतिविधि

- **लद्दाख में गलवान संघर्ष (2020):** भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। इस घटना ने द्विपक्षीय संबंधों को काफी हद तक प्रभावित किया।
    - तब से, दोनों देश तनाव कम करने के लिए पीछे हटने की बातचीत में लगे हुए हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य LAC के साथ विवादास्पद क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना था।
    - भारत के विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि पीछे हटने के 75% मुद्दों को सुलझा लिया गया है।
    - हालाँकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रगति विशेष रूप से सैन्य वापसी से संबंधित है। व्यापक सीमा मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।
- **अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र:** चीन और भूटान के बीच रणनीतिक रूप से स्थित तवांग एक महत्वपूर्ण भारतीय क्षेत्र है। यह अस्थिर भारत-चीन सीमा के अंदर स्थित है।
    - तवांग के अंदर यांग्त्से पठार भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
    - इसकी 5,700 मीटर से अधिक की ऊँचाई इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर दृश्यता प्रदान करती है।
    - LAC के साथ रिजलाइन पर भारत का नियंत्रण उसे सेला दर्रे की ओर जाने वाली सड़कों पर चीनी निगरानी को रोकने की अनुमति देता है – एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा जो तवांग में आने-जाने का एकमात्र रास्ता है।
- **अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय दावा:** अरुणाचल प्रदेश पर चीन का क्षेत्रीय दावा वर्षों से विवाद का विषय रहा है।
    - 2017 से, चीन नियंत्रण स्थापित करने की अपनी रणनीति के तहत क्षेत्र के अंदर स्थानों का नाम परिवर्तित कर रहा है।
    - दूसरी ओर, भारत दृढ़ता से कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसके क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, चीन के नाम बदलने के प्रयासों को महज शब्दाडंबर बताकर खारिज करता है।
    - त्सांगयांग ग्यात्सो पीक का नामकरण इस जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक और परत जोड़ता है।

भारत की प्रवृति

- भारत ने चीन के दावों को लगातार खारिज किया है, इस बात पर बल देते हुए कि अरुणाचल प्रदेश उसके संप्रभु क्षेत्र का अभिन्न अंग है, और तर्क दिया है कि भौगोलिक विशेषताओं को 'आविष्कृत' नाम देने से बुनियादी हकीकत नहीं परिवर्तित होती।
- भारत के लिए, अरुणाचल प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और लोगों के साथ एक जीवंत राज्य बना हुआ है, भले ही बाहरी शक्तियों द्वारा इसे कोई भी नाम दिया गया हो।

भारत का दृष्टिकोण और तंत्र

- **राजनयिक संबंध:** भारत ने 1950 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, ऐसा करने वाला यह पहला गैर-समाजवादी ब्लॉक देश बन गया।

- कभी-कभार तनाव के बावजूद, दोनों पक्ष सीमा मुद्दों को प्रबंधित करने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं।

- **संघर्ष समाधान के लिए तंत्र:** भारत के पास अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित 'घर्षण' को दूर करने के लिए तंत्र उपस्थित हैं।
- विवादों को हल करने के लिए राजनयिक चैनलों और द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग किया जाता है।
- **परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC):** यह भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित मुद्दों के संचार, समन्वय और प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित एक संस्थागत ढांचा है। यह सीमा मामलों के बारे में बेहतर संस्थागत सूचना विनिमय की आवश्यकता के जवाब के रूप में उभरा।
  - चर्चा 'गहन, रचनात्मक और दूरदर्शी' थी, और दोनों पक्ष स्थापित राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से गति बनाए रखने के लिए सहमत हुए।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- भारत को सीमा विवाद के इतिहास और 1962 के संघर्ष की ओर ले जाने वाली घटनाओं के बारे में उचित चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए व्यावहारिक समाधान खोजने की आवश्यकता है।
- भारत-चीन सीमा विवादों पर भारत की प्रवृति में कूटनीति, रणनीतिक बुनियादी ढांचे के विकास और अपने क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन शामिल है।
- तनाव जारी रहने के कारण, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में भारत और चीन का समानांतर उदय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अद्वितीय चुनौती प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सद्भाव के लिए प्रतिस्पर्धा और सहयोग को संतुलित करना आवश्यक है।

Source: TH

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024

सन्दर्भ

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है।

परिचय

- वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह उन मानदंडों के आधार पर नवाचार को मापता है जिनमें संस्थान, मानव पूंजी तथा अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, ऋण, निवेश, संबंध; ज्ञान का सृजन, अवशोषण और प्रसार; और रचनात्मक आउटपुट सम्मिलित हैं।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** स्विटजरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम
- **सबसे तेज 10 वर्षीय पर्वतारोही:** चीन, तुर्किये, भारत, वियतनाम और फिलीपींस।

भारत का प्रदर्शन

- पिछले कई वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में लगातार आगे बढ़ रहा है, 2015 में 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया है।
- भारत की ताकत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं के निर्यात (विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर), प्राप्त उद्यम पूंजी तथा अमूर्त संपत्ति की तीव्रता जैसे प्रमुख संकेतकों में निहित है।
- भारत की यूनिकॉर्न कंपनियों ने भी देश को विश्व स्तर पर 8वां स्थान दिलाया है।

भारत द्वारा की गई पहल

- अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई है।
- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) की स्थापना भारत के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान तथा नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) का उद्देश्य उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना है।
- **राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में घोषित, NRF का उद्देश्य अंतःविषय अनुसंधान को वित्तपोषित करके विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान तथा नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

चुनौतियाँ

- **खंडित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच एकीकरण का अभाव है। इन क्षेत्रों में सहयोग कमज़ोर है, जिससे अनुसंधान आउटपुट का खराब व्यावसायीकरण होता है।
- **कौशल में असंतुलन और प्रतिभा पलायन:** STEM स्नातकों के एक बड़े समूह के बावजूद, कई में अत्याधुनिक नवाचार के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। इसके अतिरिक्त, कई कुशल पेशेवर विदेशों में बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं, जिससे प्रतिभा पलायन होता है।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** अपर्याप्त अवसंरचना, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अभिनव उद्यमों के विकास में बाधा डालती है। भारत में अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है। हालाँकि अग्रणी अभिनव अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ निजी उद्यम अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

- GII रैंकिंग में लगातार सुधार ज्ञान पूंजी और जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के कारण है। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन(WIPO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है, जो विश्व के नवोन्मेषकों और रचनाकारों की सेवा करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उनके विचार सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुँचें और प्रत्येक स्थान पर जीवन को बेहतर बनाएँ।
- **सदस्य**: संगठन के 193 सदस्य देश हैं जिनमें भारत, इटली, इज़राइल, ऑस्ट्रिया, भूटान, ब्राज़ील, चीन, क्यूबा, मिस्र, पाकिस्तान, यू.एस. और यू.के. जैसे विकासशील और विकसित देश शामिल हैं।
- 1974 में, WIPO संयुक्त राष्ट्र (UN) के संगठनों के परिवार में शामिल हो गया, और UN की एक विशेष एजेंसी बन गया।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विटज़रलैंड

Source: AIR

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

सन्दर्भ

- भारत ने औपचारिक रूप से वैश्विक महासागर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता (BBNJ) के रूप में भी जाना जाता है।

परिचय

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देश में BBNJ समझौते के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा। यह समझौता भारत को EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) से परे के क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देता है। यह कई SDGs, विशेष रूप से SDG14 (पानी के नीचे जीवन) को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।

BBNJ समझौता क्या है?

- BBNJ समझौता, या 'हाई सीज ट्रीटी', संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए सटीक तंत्र निर्धारित करता है।
- पक्ष उच्च समुद्र से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते हैं और लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करते हैं।

- हाई सीज (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र) वैश्विक सामान्य महासागर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैध उद्देश्यों जैसे नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, पनडुब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने आदि के लिए सभी के लिए खुले हैं।

BBNJ समझौते का कार्यान्वयन

- BBNJ समझौता UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा, यदि और जब यह लागू होता है, इसके सहयोगी कार्यान्वयन समझौतों के साथ:
  - 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण को संबोधित करता है) और
  - 1995 संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता (जो स्ट्रैडलिंग और अत्यधिक प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन को संबोधित करता है)।
- इस समझौते पर मार्च 2023 में सहमति हुई थी और सितंबर 2023 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए हस्ताक्षर के लिए खुला है।
- 60वें अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 120 दिन बाद लागू होने के बाद यह एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी।
- अब तक, 101 देशों ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और 10 पक्षों ने इसकी पुष्टि की है।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS)

- UNCLOS को 1982 में अपनाया गया था और यह 1994 में लागू हुआ।
- यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून तथा व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था स्थापित करता है, जो महासागरों एवं उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम स्थापित करता है।
- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर तल पर खनन और संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- आज तक, 160 से अधिक देशों ने UNCLOS की पुष्टि की है।

Source: AIR

समुद्र के स्तर में वृद्धि

समाचार में

- एंटोनियो गुटेरेस ने टोंगा जैसे प्रशांत देशों के लिए समुद्र स्तर में वृद्धि के खतरे पर प्रकाश डाला, जिसका तटीय समुदायों पर गंभीर वैश्विक प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य विशेषताएं

- **समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर:** 1880 के बाद से वैश्विक समुद्र का स्तर 20 सेमी से अधिक बढ़ गया है, जो पिछले 3,000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में सबसे तेज़ है। वृद्धि की दर में तेज़ी आई है, 2023 में उच्चतम समुद्र स्तर दर्ज किए गए हैं।

- **असमान वृद्धि:** समुद्र का स्तर विश्व भर में समान रूप से नहीं बढ़ रहा है; दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत के कुछ हिस्सों में 1993 के बाद से वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी दर देखी गई है।
    - जलवायु कार्रवाई के आधार पर, यदि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहता है, तो 2100 तक समुद्र का स्तर 38 सेमी बढ़ सकता है, या 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ 56 सेमी तक बढ़ सकता है। आदर्श मामलों में 2100 तक 2 मीटर तक की वृद्धि का अनुमान है।

समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण:

- जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापन।
- महासागरों के गर्म होने से थर्मल विस्तार।
- बर्फ की चादरें और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, विशेषतौर पर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में।
- भूजल पंपिंग भी समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान देता है।

बढ़ते समुद्र का प्रभाव:

- समुद्र में प्रत्येक 2.5 सेमी की वृद्धि के परिणामस्वरूप 2.5 मीटर समुद्र तट की हानि हो सकती है, तूफानी लहरें बढ़ सकती हैं और उच्च ज्वार आ सकता है।
- प्रत्येक सेंटीमीटर अतिरिक्त 6 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ के लिए प्रकट करता है।
- 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि से ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादरें अपरिवर्तनीय रूप से पिघल सकती हैं, जिससे समुद्र का स्तर काफी बढ़ सकता है।

असुरक्षित क्षेत्र:

- निचले क्षेत्रों के द्वीप (जैसे, फिजी, मालदीव, तुवालु) अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। तटीय शहर, नदी डेल्टा और उष्णकटिबंधीय एशिया (बांग्लादेश, भारत, चीन) के क्षेत्र भी अत्यधिक असुरक्षित हैं।
- **वैश्विक प्रभाव:** विश्व की लगभग 40% जनसँख्यासमुद्र तट के पास रहती है, जिसमें काहिरा, मुंबई, लागोस और लंदन जैसे प्रमुख शहर गंभीर प्रभावों के जोखिम में हैं।

उपाय

- उत्सर्जन में कमी लाकर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है।
- अनुकूलन रणनीतियाँ जैसे समुद्री दीवारें, तूफ़ान की लहरों को रोकने वाली बाधाएँ और बाढ़-रोधी बुनियादी ढाँचा।
- प्रकृति-आधारित समाधान जैसे मैंग्रोव को पुनर्जीवित करना और तटीय कटाव को रोकना।
- निचले क्षेत्रों में गाँवों को बसाना या मालदीव और तुवालु जैसे स्थानों पर तैरते हुए शहर बनाना।

Source:IE

भारत में लंबी दूरी के रॉकेट

सन्दर्भ

- हाल ही में, भारतीय सेना ने यूक्रेन युद्ध और इजरायल द्वारा गाजा पर आक्रमण से सीख लेते हुए, लंबी दूरी के रॉकेट तथा भविष्य के युद्धोपकरण का लक्ष्य बनाया है।

विस्तारित रेंज रॉकेट के बारे में

- भारतीय सेना लंबी दूरी के रॉकेटों पर विचार कर रही है और आने वाले समय में स्वदेशी पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम (MRLS) रॉकेटों की रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रही है।
    - निर्देशित विस्तारित-रेंज पिनाका रॉकेटों के लिए परीक्षण चल रहे हैं। ये रॉकेट बेहतर सटीकता का वादा करते हैं तथा 75 किलोमीटर और उससे अधिक की दूरी तय कर सकते हैं।

- भारतीय सेना ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों (400 किमी की रेंज के साथ) और निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइलों (1000 किमी की रेंज के साथ) की खरीद को मंजूरी दे दी है।
- DRDO देश के रक्षा बलों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की प्रक्रिया में था।

तोपखाना परिवर्तन

- भारतीय सेना के पास अपनी सभी तोपों को 155 मिमी कैलिबर में मानकीकृत करने का रोडमैप है। यह रसद, रखरखाव और प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करता है।
- हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS), जो अमेरिका ने यूक्रेन को आपूर्ति की थी, वह भी निर्देशित रॉकेट का उपयोग करता है। भारतीय सेना सटीकता और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए समान तकनीक अपनाने के लिए उत्सुक है।

निर्भय मिसाइल

- यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर उच्च मूल्य के लक्ष्यों पर सटीकता से आक्रमण करने में सक्षम है।
- इसे समुद्र और हवाई प्लेटफार्मों से लॉन्च करने के लिए अपनाया जा रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल है जिनके पास इस श्रेणी की क्रूज मिसाइलों को डिजाइन और विकसित करने की क्षमता है।

'प्रलय' मिसाइल

- यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी (350-500 किमी) की, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500-1,000 किलोग्राम है।

पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लांचर(MBRL)

- यह एक सभी मौसम में कार्य करने वाला, मल्टी बैरल आर्टिलरी हथियार सिस्टम है जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र के लक्ष्यों के खिलाफ बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में फायर करता है।
- इसकी प्रतिक्रिया समय त्वरित है और निशाना साधने की सटीकता अपेक्षाकृत अधिक है।.

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

भगत सिंह

समाचार में

- शहीद भगत सिंह जयंती प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाई जाती है।

भगत सिंह के बारे में

- **प्रारंभिक जीवन और देशभक्ति:** 27 सितंबर 1907 को लायलपुर में जन्मे भगत सिंह अपने परिवार की देशभक्ति, विशेषकर अपने चाचा अजीत सिंह से बहुत प्रभावित थे और ग़दर आंदोलन और करतार सिंह सराभा की फांसी से प्रेरित थे।
- **शिक्षा और राष्ट्रवाद:** भगत सिंह ने लाहौर में दयानंद एंग्लो-वैदिक स्कूल और बाद में नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अस्वीकार कर दिया और अपने परिवार की शादी की योजना का विरोध किया, यह घोषणा करते हुए कि उनकी "दुल्हन" भारत की स्वतंत्रता के लिए मृत्यु होगी।
- **संगठन:** हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के रूप में, भगत सिंह स्वतंत्रता की खोज में अथक थे
- **नौजवान भारत सभा:** मार्च 1926 में, भगत सिंह एक क्रांतिकारी संगठन, नौजवान भारत सभा के सचिव बने।
- **विधानसभा बम विस्फोट:** भगत सिंह ने दो दमनकारी विधेयकों का विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका।
    - इस कार्रवाई के साथ-साथ सॉन्डर्स की हत्या की व्याख्या करने वाले एक पोस्टर के कारण भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

- **लाहौर षडयंत्र केस और फांसी:** 23 मार्च 1931 को लाहौर षडयंत्र केस में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था, एक मुकदमे के बाद जहां उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया था।
- **फांसी के बाद:** फांसी के बाद, भगत सिंह के शव का अंग्रेजों ने हुसैनीवाला में गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन उनके साथियों ने उनके अवशेषों को वापस ले लिया और लाहौर में एक जुलूस निकाला।
- **शहीद-ए-आज़म की उपाधि:** भगत सिंह को "शहीद-ए-आज़म" की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, जिसका अर्थ है शहीदों में सबसे महान।
- **शहादत और विरासत:** भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बिना किसी भय के फांसी पर चढ़ने से पहले "इंकलाब जिंदाबाद" का नारा लगाते हुए मौत को गले लगा लिया।
    - "मेरा रंग दे बसंती चोला" गीत भगत सिंह के बलिदान के गीत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया।

Source: FE

जीवित्पुत्रिका महोत्सव

सन्दर्भ

- बिहार के विभिन्न जिलों में जीवित्पुत्रिका पर्व के दौरान नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों सहित लगभग 46 लोग डूब गए।

परिचय

- जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया व्रत), बच्चों की खुशहाली और समृद्धि के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे मुख्य रूप से माताएँ मनाती हैं।
    - इसमें महिलाएँ उपवास रखती हैं और पवित्र स्नान करती हैं।
- **क्षेत्र:** यह बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ-साथ नेपाल सहित भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है।
- **अवधि:** यह त्योहार तीन दिनों तक चलता है, जो अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि के दौरान मनाया जाता है।
- इस उत्सव की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जहाँ माताएँ शुद्ध स्नान करती हैं और पौष्टिक भोजन करती हैं।
- दूसरे दिन कठोर उपवास अनुष्ठान होता है, और तीसरे दिन पारण के साथ त्योहार का समापन होता है, जहाँ भोजन के साथ उपवास तोड़ा जाता है।

Source: ET

भारत ग्लोबई (GlobE) संचालन समिति में निर्वाचित

संदर्भ

- भारत को बीजिंग में ग्लोबई नेटवर्क की संचालन समिति के लिए चुना गया है, जिससे वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को आकार देने में उसे महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:** भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों का वैश्विक परिचालन नेटवर्क (ग्लोब नेटवर्क) G-20 की एक पहल थी।
  - इसे आधिकारिक तौर पर 3 जून, 2021 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था।
- **सदस्य:** अब इसके 121 सदस्य देश और 219 सदस्य प्राधिकरण हैं।
- **उद्देश्य:** ग्लोब नेटवर्क एक ऐसा मंच है जहाँ विश्व भर की एजेंसियाँ आपराधिक खुफिया जानकारी साझा करती हैं, रणनीति बनाती हैं और भ्रष्टाचार से निपटने के साझा उद्देश्य में सहयोग करती हैं।
- **शासन:** संगठन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए नेटवर्क में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और संचालन समिति में 13 सदस्य हैं।

भारतीय प्रतिनिधित्व

- GloBE नेटवर्क के लिए केंद्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय है, जबकि भारत से CBI और प्रवर्तन निदेशालय इसके सदस्य प्राधिकरण हैं।
- 2023 में भारत की G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दो उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया, जिसमें GloBE नेटवर्क का लाभ उठाने का विस्तृत विवरण दिया गया।

Source: TH

भारत 6G अलायंस

समाचार में

- भारत 6जी अलायंस (B6GA) ने बेंगलुरु में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान 6G प्रौद्योगिकी विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की।

भारत 6जी अलायंस के बारे में

- भारत 6G एलायंस एक सहयोगी मंच है जो भारत में एक व्यापक 6G पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए शिक्षा, उद्योग और सरकार को एक साथ लाता है।
- यह गठबंधन 6G तकनीक के अनुसंधान, विकास और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य उभरते 6G परिदृश्य में भारत को वैश्विक नेता बनाना है।

"भारत 6जी विज़न"

- 2023 में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के "भारत 6G विज़न" का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य देश को 2030 तक 6G तकनीक के डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाना है।
- भारत 6G विज़न तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता।
- यह भारत को समाज को लाभ पहुँचाने वाले अभिनव और लागत प्रभावी दूरसंचार समाधान प्रदान करने में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है।

Source:ET

■■■■